

भारत सरकार

(C)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[1 फरवरी, 1993 को यथाविद्यमान]

The Registration of Births and Deaths Act, 1969

(Act No. 18 of 1969)

[As on the 1st February 1993.]

1993

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,
भारत सरकार, मिशन लाइसेंस, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य: (देश में) रु. 4.00 (विदेश में) 0.47 पौंड तथा 1 डालर 44 सेंट्स

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवम्बर, 1970 को विधाविद्यमान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र, अमांदारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 53, खण्ड V में पृष्ठ 565 से 578 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होते ही, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया।

नई दिल्ली;

1 नवम्बर, 1970

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

तृतीय संस्करण का प्राक्कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) के द्वितीय द्विभाषीय संस्करण की प्रतिदूषित बिक गई हैं इसलिए इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 फरवरी, 1993 तक के मध्ये मंशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली;

1 फरवरी, 1993

के० एल० मोहनपुरिया,

सचिव, भारत सरकार।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भक

धाराएँ	पृष्ठ
१. संक्षिप्त नाम, विवाह और प्राप्ति	१
२. परिवाप्ति और विवरण	१

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

३. भारत का रजिस्ट्रार	२
४. मुख्य रजिस्ट्रार	२
५. रजिस्ट्रीकरण दंड	२
६. जिला रजिस्ट्रार	२
७. रजिस्ट्रार	२

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

८. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अदेता व्यक्ति	३
९. वासान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपचार	३
१०. जन्म और मृत्यु की गवाना देने और मृत्यु को कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य	४
११. इनिका देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना	४
१२. इनिका देने वाले वा रजिस्ट्रीकरण की प्रविधियों के उल्लंघन का दिला जाना	४
१३. जन्म और मृत्यु का विवरित रजिस्ट्रीकरण	४
१४. वातिक के नाम का रजिस्ट्रीकरण	४
१५. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्ट बोठीक या रद्द करना	४

अध्याय 4

अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

धाराएं

पृष्ठ

16. विहित प्रूप में रजिस्टरों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना	5
17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी	5
18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का नियोगिता	5
19. कालिक विवरणों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना	5

अध्याय 5

प्रक्रीण

20. भारत में ब्राह्मनागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विषेष उपचार	5
21. जन्म व मृत्यु के संबंध में इतिहासिक प्राप्ति करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	6
22. नियंत्रण देने की शक्ति	6
23. शास्त्रियों	6
24. अपराधी के प्रज्ञान की शक्ति	6
25. अभियोजन के लिए मंजूरी	6
26. रजिस्ट्रारों और उपरजिस्ट्रारों कालीक सेवक समझा जाना	6
27. शक्तियों का प्रत्ययोजन	6
28. सद्भावार्थक की गई कार्यवाई के लिए परिवारण	6
29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्याक 6 के अल्पीकरण में नहीं है	7
30. नियम बनाने की शक्ति	7
31. निरसन और व्यावृत्ति	7
32. कठिनाई दूर करने की शक्ति	7

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[3-1 मई, 1969]

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विविध मामलों और तत्संबंधीय विषयों का
उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संवित नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिचालना और नियंत्रण—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “जन्म” से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है;

(ख) “मृत्यु” से जीवित-जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है;

(ग) “भ्रूण-मृत्यु” से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है;

(घ) “जीवित-जन्म” से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् ज्वास लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है;

(ङ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) किसी सघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(छ) “मृत-जन्म” से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहाँ गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है।

1. पुस्तक के अन्त में पृष्ठ 8 वेळिए।

अध्याय 2
रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार—(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण नियेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और प्रक्रियाकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक व्यापिक ग्रिडों के द्वारा यह सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. मुख्य रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिए गए नियेशों के, इदि कोई हो, अध्यर्थीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी १५ दे देन अधिनियम के अन्वयनीय और न्यौतील बनाए गए नियमी और किए गए अविभागों के निष्पादन के लिए संघर्ष करने वाले प्राधिकारी होंगा।

(1) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, प्रक्रियाकरण और परिवेशाल के लिए समन्वित अनुदेश निकाल कर दो अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दश पढ़नि मुत्तिज्जित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उभयने इस अधिनियम के कार्यविवरण के वर्णन में एक स्थिरोंट, ऐसी गैरिमा या अन्तरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, भारा १९ की उठाएगा (2) में निर्दिष्ट माध्यिकारीय ग्रिडों के साथ जैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण घट्ट—राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लीकर के उत्तराधीन की ऐसे रजिस्ट्रीकरण घट्टों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण घट्टों के लिए विविध विषय विहित कर सकेगी।

6. जिला रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उक्ते अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जिनके वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्यर्थीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने वाले जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्यर्थीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अर्द्धाध्यान करेगा तथा इस अधिनियम के उपवन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होंगा।

7. रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र भास्त्रिकरण करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कमेंटारी को रजिस्ट्रार के हॉर में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्ट्रर में धारा ८ या धारा ९ के अधीन उसे दी गई इतिलाई, फीस या दस्तावेज के लिए दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विधिविधियों के अभिनिष्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया जाया हो ।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे ।

(5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या किसी शक्तियां और कठिन सौंप सकेगा ।

अध्याय ३

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

४. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति—(1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा १६ की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्रस्तुपों में विविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार विशिष्टियों की इतिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास के अनुसार, ऐसे समय के शीतर, जो विहित किया जाए, माँगिक द्वारा नियुक्त रूप में रजिस्ट्रार को दे या दिलवाएँ,—

(क) खण्ड (ब) से (ड) तक में निर्दिष्ट स्थान में जिस किसी घर में, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो एवं जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुष्टुतिमें उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्थ पुरुष ;

(ख) किसी अस्तवाल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रशुति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस नियमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर;

(घ) किसी चावड़ी, छत्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासी, पांथशाला वैरक, ताडीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहां का भारसाधक व्यक्ति ;

(इ) लोक स्थान में अभिस्थित पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आक्षिर :

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा

(च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं का ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में इतिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस नियमित विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

५. बागान में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा ८ में निर्दिष्ट इतिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा :

परन्तु धारा ८ की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “बागान” पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के शभियों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता है, चाहे वह प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो ।

10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) (i)

जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का।

(ii) शर्वों के व्ययन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित हुने के लिए स्थानीय प्रधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचयी की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीत से दे जिसे विहित किया जाए।

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य मुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्रलग में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।

(3) जहाँ राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए, वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इतिलाल देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इतिलाल देते समय रजिस्ट्रार को परिदृष्ट करेगा।

11. इतिलाल देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इनिलाली मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगूष्ठ-चिह्न लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टिया रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी।

12. इतिलाल देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना—जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होने ही रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से संबद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर वहित उद्धरण उस व्यक्ति को सम्पूर्ण देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इतिलाल दी।

13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण—(1) जिस जन्म या मृत्यु की इनिलाल तदर्थे विनिर्दिष्ट कालावधि के अवधान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के होम दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए, वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिलाल उसके होने के होम दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए, वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति में और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समझ गर्वायन गपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(3) जो जन्म या मृत्यु होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन उसके पश्चात् प्रथम वर्ष में जिस्ट्रेट या ब्रेसिडेंसी में डिस्ट्रिट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरुद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लिमिट रहने के दोषान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण—जहाँ किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहाँ ऐसे बालक की माता पिता या ग्राहक बालक के नाम के सम्बन्ध में इतिलाल, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार द्वारा विहित कालावधि के भीतर ऐसा ग्राहक तथा रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा आर प्रविष्टि को आदर्शित करेगा और उस पर तारीख दादेगा।

15. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना—यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले स्पष्ट में उह वाक्य कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्रलिप्त न होना चाहिए तो अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई हो तो वह ऐसे लियमों के प्रदर्शनीत रहने हैं, जो ग्राहक सरकार द्वारा ऐसी घटों की बावजूद जिस पर ग्राहक ऐसी परिस्थितियों की बावजूद जिसमें ऐसी प्रविष्टियों का ठीक या रद्द किया जा सकेगा, तब तो या उस प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना पाल्य से व्यवाचित प्रविष्टि कराने दें। प्रविष्टि को रखने को ठीक करने का दावा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पाल्य प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर लगेगा और उसमें होने या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा।

अद्यता ५

अभिनेतों और सांख्यिकियों की रखता

१६. किंहित प्रकृति में रजिस्टरी का अधिकारी होता रहता जाता है—(१)प्रत्येक सरित्राएँ दिविकरण द्वारा उसके किसी भवय के निम्न निम्नके बन्दर में वह अधिकारिया द्वारा प्रदान करता है। किंहित प्रकृति में जन्म और मरण का रजिस्ट्रेशन रखेगा।

(३) युवराज शिवसुख द्वारा प्रदत्ती की अनुशंसा और समर्पण की जिहिन किए जाएं, इस दूर सूची वी प्रतिरिदिव करने के लिए प्रयत्नित भौतिकों के नियमित उपकारों परीक्षा प्रदायक करायेगा; तथा ऐसे प्रबलों की स्थानीय समाज में एक नियमित विद्यार्थी के अधिकारों की बाब्ता द्वारा दर्शाय उनके नियन्त्रित किए गए सम्प्रदाय व्यक्ति द्वारा दर्शाय जाएगी।

१३. जन्म और मृत्यु के संबंधित फोटो लेतार्थी—(१) ग्राम परवार हारा। ये मिमिन बनाए गए किंहीं नियमों के अनुसार हते हुए, जिसके प्रत्येक वर्ष फोटो शोर वार-महसूल के गोदावर में अंतर्भूत लिपिश भी है, कोई दृश्यमान—

(क) जन्म और मृत्यु के अवसरों की किसी प्रतिकूल की विविध दारा तत्वान् क्षया भवेतः तदा

(३) अंगिकार के लिये जाग और ज्ञान के साथ ही सत्त्व का उदास अस्तित्व भी चाहिए।

पुराने विद्यों व्यवस्थाओं की हितों में से एक अन्य अन्यथा भौतिक उत्तराधि, जो यह विद्या रहनिष्ठार के परिवार का एक अमृत ग्रन्थ है। यहीं इसका

(2) इंग्लैण्ड के अर्थात् विदेश सभी उत्तराधि प्रविनियम, 1872 (1872 का 1) को धारा 76 के उपलब्धि विभिन्न विभागों द्वारा या किसी अन्य रूप से अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्देश्य देने के लिए साथ सरकार ने प्राप्तिहक किया है, प्रयोगित किया जाएगा और कभी जन्म या मर्यादा के जिससे वह प्रविनियम बदल दो, तो उसके प्रयोजन के लिए साथ से आड़ा होगा।

१८. रजिस्ट्रीकरण कायदाओं का सिरीज़ --- रजिस्ट्रीकरण कोयलियों का नियमित और उनमें शब्द भाषा रजिस्टर्स की परीक्षा ऐसी गति में आंतरिक प्राधिकारी हार्ड जिसे जिका रजिस्टर विविधत्र बोर्ड किया जाएगा।

१९. कालिक विवरणीयों का रजिस्ट्रार द्वारा मुद्रित रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना—(१) प्रत्येक रजिस्ट्रार मुद्रित रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विचिह्नित किसी अस्त्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रस्तुति में, जो वित्ति किए जाए, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर की जन्म थीं और मृत्यु वी प्रवित्रियों के बारे में प्रक विवरणीयों के बारे में एक विवरणीय होता।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों से दी गई इनिला का संकलन कराया और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सम्बितियों पर गिरोट ऐसे अन्वयाओं पर आंदोलन से प्रहृष्ट हो जाए, मर्वदाधारण वर्ती ज्ञानकारी के लिए प्रकाशित की जाए ।

११

卷之三

20. भारत ने बहुराष्ट्रीयिकों के सम्म और मूल्यों के इमिस्ट्रीज़रण के द्वारे में विशेष उपलब्धि— (१) उन नियमों के अध्याद्धरीय विवरणों के लिए संक्षेप भारत द्वारा इस नियमित बनाए जाए, महात्माजिनेश भारत के नायकों के भारत में बढ़ाव जगाए और मूल्यों के लिए विवरण विविधता का बनाए जाए नायिकों अधिकार, १९५५ (१९३३ वा ८२) के प्रधान बनाए जाए और भारतीय राष्ट्रीय विवरणों में ऐसे विवरण विवरण विविधता का बनाए जाए जो उनको की प्रधान बनाए हो और प्रदेशों द्वारा रजिस्ट्रीकरण की अविविधत विवरणों की अविविधत मानव विवरण विवरण विवरण।

21. जन्म वा मृत्यु के सम्बन्ध में इस्तिलाह अभिश्वास करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मीलिङ या नियन्त्रित हुए से, यह अधिकार कर सकता कि जिस परिदृश्य में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म वा मृत्यु संबंधी कोई इस्तिलाह जो होते हैं, वह उसे ये और वह व्यक्ति ऐसी प्रवेश का अनुमति करने के लिए आवश्यक होगा।

22. निवेश देने की शक्ति—केवल सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे नियम दे सकती जो इस अधिनियम के या तदाचीन वाले गए किसी नियम पा किए गए किसी भाविता के उपर्योग में से किसी का उस राज्य में नियोजन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

23. शास्त्रियां—(1) कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा ४ और ५ के किन्हीं उपचर्यों के अधीन ऐसी डिनिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर से लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी डिनिला देगा या दिलाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीक्रत किया जाना अपेक्षित है; अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित तरह से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगूष्ठ-चिह्न लगाने में सकार करेगा, वह जुमनि से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में दोस्त व्यक्ति किसी जन्म वा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपकारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणों में से उपेक्षा या उसमें इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुमनि से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई निकिट्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपकारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उसमें इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण-पत्र परिदृश्य करने में उपेक्षा या उसमें इन्कार करेगा वह जुमनि से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) अपेक्षित व्यक्ति, जो इस अधिनियम के लिए ऐसा धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रतिलिपि भारतीय, १९०३ (१९०३ का ५) में किसी वाले ने होने हुए भी, इस नाम के अधीन आपारप्र का विवाह अधिसूचित हाला संकेत किया जाना।

24. अपेक्षितों के व्यापक कार्यक्रम—(1) ऐसी घटनी के अन्तर्गत जारी होने वाले विविध कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके दबावभूमि के लिए इस धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) ऐसी घटनाएँ होने वाले विविध कारण के बिना, जिसके दबावभूमि के लिए इस धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) ऐसी घटनाएँ होने वाले विविध कारण के बिना, जिसके दबावभूमि के लिए इस धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) ऐसी घटनाएँ होने वाले विविध कारण के बिना, जिसके दबावभूमि के लिए इस धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) ऐसी घटनाएँ होने वाले विविध कारण के बिना, जिसके दबावभूमि के लिए इस धारा 1 के अधीन इन्कार का उदाहरण नहीं है, वह जुमनि से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(१) कोई सी बात या अन्य विधिक कार्रवाई इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए किसी नियम या किंवा गति में अनुसन्धान में सद्भावपूर्वक को गई या नहीं है तो उसे लिए प्राग्यति विसी बात से है या होने में सम्बद्ध किसी नक्सान के लिए सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्या 6 के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम वीरमी ब्रान द्वारा अवैध घोषित होना जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपवर्धों के अन्तीकरण में है।

30. नियम बनाने की शक्ति—(१) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपवंश की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपवंश कर सकेंगे—

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों के प्रस्तुप;

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्रस्तुप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा 8 के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिए;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (१) के अधीन जन्म और मृत्यु की भूचना दी जाएगी;

(घ) वह व्यक्ति जिसमें और वह प्रस्तुप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपद अभिप्राप्त किया जाएगा;

(ङ) वे विधिविद्याओं जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (२) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दें सकेगा;

(छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय फीसें;

(ज) धारा 4 की उपधारा (४) के अधीन मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों की नलाई और ऐसी तकाशी के लिए तथा रजिस्टरों में से उद्धरण दिए जाने के लिए फीसें;

(ञ) वे प्रस्तुप जिनमें और वे अन्यगत जिन पर विवरणियां और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएंगी;

(ट) रजिस्ट्रारोंद्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका देश किया जाना और अन्तरण;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविधियों को रद्द करना;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

[(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समझ रखा जाएगा।]

31. नियन्त्रण और व्यावृत्ति—(१) धारा 29 के उपवर्धों के अध्यधीन रहते हैं यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उत्तरांश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।

(२) ऐसे नियन्त्रण के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपवर्धों से असंगत न हो, पूर्वान्त उपवर्धों के अधीन ऐसे को गई समझी जाएगी भानों वे उस समय प्रवृत्त हों जब वह बात या कार्रवाई ती गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त वनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिविष्ट न कर दी जाए।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपवर्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी शेष के लागू करने में उद्भव होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन में, आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उपवर्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश द्वारा सकेगी जो इस अधिनियम के उपवर्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य या भारत की आवश्यक या समीक्षा लेनी हों।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवधान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अधिनियम के लागू होना

1. यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में 1-4-1970 से प्रवृत्त हुआ; देविए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 514, तारीख 21-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(i), पृष्ठ 377 :—

(1) निम्नलिखित के सिवाय समूर्ण आसाम राज्य में—

- (i) संयुक्त छासी-जयंतीया पट्टाई जिला, किन्तु—
 - (क) शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर ;
 - (ख) शिलांग छावनी में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर ;
- (ii) संपूर्ण गारो पहाड़ी जिले ;
- (iii) संपूर्ण संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कलार पहाड़ी जिले ;
- (iv) संपूर्ण मिजो पहाड़ी जिले ।

(2) निम्नलिखित के सिवाय समूर्ण पश्चिमी बंगाल में :—

- (i) कलकत्ता निगम में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;
- (ii) हावड़ा नगर पालिका में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;
- (iii) फोर्ट विलियम; और
- (iv) बैरक्युर, लेवोग और जलपहाड़ घावतियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संपूर्ण भाग से 1-4-1970 से प्रवृत्त हुआ; देविए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 461, तारीख 7-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 966 :—

राज्य

1. आंध्र प्रदेश	8. झेसूर
2. बिहार	9. उडीसा
3. गुजरात	10. पंजाब
4. हरियाणा	11. राजस्थान
5. केरल	12. तमिलनाड़
6. मध्य प्रदेश	13. उत्तर प्रदेश
7. गहाराघूर	

संघ राज्यक्षेत्र

- 1. चण्डीगढ़
- 3. हिमाचल प्रदेश
- 2. दादरा और नागर हवेली
- 4. लक्ष्मीगढ़, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप।
- 3. यह अधिनियम संपूर्ण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में 1-7-1970 से प्रवृत्त हुआ; देविए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 973, तारीख 26-6-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 585।
- 4. यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में 1-10-1970 से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त हुआ; देविए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 1718 तारीख 22-9-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 727 :—
 - 1. उधमपुर जिले में रामनगर पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
 - 2. बारामूला जिले में कूपवाडा पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
 - 3. जम्मू और श्रीनगर नगरपालिकाओं में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं में ।
 - 4. अनंतनाग, कथंआ और लेह की घाही क्षेत्र गमितियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं में ।
- 5. इस अधिनियम का विस्तार 13-9-76 से सिक्किम राज्य पर किया गया। देविए अधिसूचना सं० कानूनी आदेश 3465, तारीख 21-9-76।